

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत मुकाम
 बनाम
 नं. सन्

रम मुकदमा नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

माने के आदेश को कन्फर्म किया जाना आवश्यक है।
 अतः कूल बंद के अंतिम विस्तारण तक के लिए विपक्षीयों को जारि अस्थायी विधेयता से बाहर किया जाता है कि वे मौज्जा गुलामा, १००० गैरबंदकृत की अरजी संख्या = 113, 197, 269, 464 गौ, 494 गौ, 619 गौ, 664, 669, 670, 886/734 कूल किला = 10 कूल खबा = 5.920 हौ अरि, आर.सी. 268 खबा = 0.0400 हौ अरि (कुका) एवं आर.सी. 889/734 खबा 0.1800 हौ अरि (रास्ते की अरि) में क्रेता/विपक्षीय कवरलंदाजी नहीं करें तथा आरजी के रेकार्ड व मौजे की वस्थाबिती कूल बंद के अंतिम विस्तारण तक कायम रखी जावे। काबली फौसल सुकर लीकर वंकर से काम लेकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगु (विजोदगढ़)